संख्या-19/2016/1176जेड/6-सा-1-2016-27जी/2015टीसी

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 28 अक्टूबर, 2016

विषय:-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अधिष्ठान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1605/छ:-स्व0से0/2016, दिनांक-07-09-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय- 01 एवं 03 मंहमाई भत्ता मद में उपलब्ध बचत में से अतिरिक्त रूप से निम्न मदों में रू0 04,35,000/- (रू0 चार लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखा शीर्षक/मद	धनराशि (रूपये में)
04-यात्रा व्यय-1,15,000	----
07-मानदेय-2,00,000	200
08-कार्यालय व्यय-70,000	50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण-25,000	25
13-टेलीफोन पर व्यय- 40,000	100
15-गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल मद की खरीद आदि-80,000	---
18-प्रकाशन-10,000	10
42-अन्य व्यय-10,000	50
योग	**04,35,000**

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों में पुन: अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

3- उपर्युक्त मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु की जाय, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

क्रमश:2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-03-उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-04-यात्रा व्यय-07-मानदेय मद में, 08-कार्यालय व्यय, 12-कार्यालय व्यय फर्नीचर एवं उपकरण, 13-टेलीफोन पर व्यय-15-गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद-प्रकाशन/42-अन्य व्यय की मदों के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक 2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-03-उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-01 वेतन मद एवं 03 मंहगाई भत्ता मद की सम्भावित बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

ह/-

(स्वामी नाथ पाण्डेय)

उप सचिव।

संख्या:19/2016/1176(1)जेड/6-सा-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफीसर (आडिट-प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ह/-

(स्वामी नाथ पाण्डेय)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in